

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 119/2021

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय औझा।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मोहनलाल सैनी पुत्र श्री सांवरमल सैनी, पता गणेशपुरा, वार्ड नं0 8, विकास समिति भवन के पीछे, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
2. तीजू सैनी पत्नि मोहनलाल सैनी, पता गणेशपुरा, वार्ड नं0 8, विकास समिति भवन के पीछे, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
3. आलोक सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी, पता गणेशपुरा, वार्ड नं0 8, विकास समिति भवन के पीछे, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
4. धीरज कुमार सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी, पता गणेशपुरा, वार्ड नं0 8, विकास समिति भवन के पीछे, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

—

उपस्थित:-

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2. एडवोकट श्री राजवीर सिंह शेखावत — अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से

आदेश

दिनांक 20.09.2021

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.01.2019 को जरिये लोन खाता संख्या PL 6553 राशि 27,00,000/- रुपये अक्षरे सताईस लाख रुपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहऋणियों न ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पत्ति पर निर्मित भवन एवं ढांचा को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है। बंधक सम्पत्ति का विवरण— श्री मोहन लाल सैनी पुत्र श्री सांवरल मल सैनी मालिक सम्पत्ति आबादी प्लॉट खसरा नं0 1777 व खाता नं0 468, ग्राम गणेशपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 571.00 वर्ग गज है।

1

प्रकरण संख्या

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| चतुर्थ सीमा— | पूर्व मे | — हनुमान प्रसाद की भूमि |
| | पश्चिम मे | — आम रास्ता |
| | उत्तर मे | — हनुमान प्रसाद की भूमि |
| | दक्षिण मे | — हनुमान प्रसाद की भूमि |

श्रीमती तीजू सैनी पत्नि श्री मोहन लाल सैनी मालिक सम्पत्ति आबादी प्लॉट खसरा नं० 1777 व खाता नं० 528, ग्राम गणेशपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान मे स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 245.00 वर्ग गज है।

| | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| चतुर्थ सीमा— | पूर्व मे | — शारदा पत्नि श्री हनुमान की भूमि |
| | पश्चिम मे | — आम रास्ता |
| | उत्तर मे | — विमला पत्नि श्री श्रवण की भूमि |
| | दक्षिण मे | — टैगोर स्कूल |

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र (Last audited balance sheet)के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) मे यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपये से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिंग कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का०आ० 856 (अ) के द्वारा पचास लाख रूपये और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का०आ० 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपये और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध मे प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप मे विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीकम व अतिदेय होने पर दिनांक 20.12.2019 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत की दिया है। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि लोन खाता संख्या PL 6553 कुल राशि 39,00,000/-रूपये दिनांक 18.02.2021 तक शेष व दिनांक 18.02.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.02.2021 को रजि० नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 मे वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 मे दिया गया है का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से ऋण ले रखा था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को नई योजना का झांसा देकर राशि 27 लाख का और ऋण देने, कोई प्रासेसिंग फीस नही लेने, कोई फाईल चार्ज नही लेने, 14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने व बिना मुद्रांक शुल्क के ऋण देने का वादा किया था। अप्रार्थी ने झांसे मे आकर प्रार्थी से ऋण ले लिया

परन्तु प्रार्थी ने 14 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत ब्याज व 1,83,000 विविध शुल्क के रूप में वसूल किया है। कोविड-19 के कारण अप्रार्थी का व्यापार धीमा चलने से अप्रार्थी ऋण राशि प्रार्थी को नहीं चुका पाया। अप्रार्थी अब प्रार्थी की बकाया ऋण राशि की मात्र 6 किश्ते तय कर 14 प्रतिशत ब्याज की दर से उक्त ऋण को चुकाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं0 1 श्री मोहन लाल सैनी की सम्पत्ति आबादी प्लॉट खसरा नं0 1777 व खाता नं0 468, ग्राम गणेशपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 571.00 वर्ग गज है एवं अप्रार्थी सं0 2 श्रीमती तीजू सैनी की सम्पत्ति आबादी प्लॉट खसरा नं0 1777 व खाता नं0 528, ग्राम गणेशपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 245.00 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 20.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान) 20/09/21
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं